कार्यालय मुख्य अभियन्ता स्तर–1
उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

(भूगर्भीय आख्या)

आख्या संख्या 60 / 1491 / 07

जनपद देहरादून में सहमरजैस मोटर मार्ग से त्रिचराड गांव तक मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

मई 2007

जनपद देहरादून में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1 अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सहिया के अन्तर्गत 0.800 कि0मी0 लम्बाई में सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग सहिया के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 7.5.2007 को संबधित सहायक अभियन्ता श्री संजीव राठी एवं कनिष्ठ अभियन्ता श्री पी0 एस0 बुटोला के साथ निरीक्षण किया गया।

2. राज्य योजना (टी0 एस0 पी0) के अन्तर्गत सबमरजैस मोटर मार्ग से चिचराड गांव तक 1.00 कि0 मी0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत है। मार्ग निर्माण हेतु सम्बंधित खण्ड द्वारा दो समरेखनों पर सर्वेक्षण किया गया है। समरेखन संख्या दो में एक सेतु की आवश्यकता के कारण खण्ड द्वारा समरेखन संख्या एक के अनुसार मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव हैं। प्रस्तावित समरेखन सबमरजैस मोटर मार्ग के कि0 मी0 21 के हेयर पिन बैण्ड से चिचराड गांव की ओर आरम्भ होता है तथा चिचराड गांव पहुच कर समाप्त होता है। गांव तक समरेखन की वास्तविक लम्बाई 0.800 कि0 मी0 आती है। इस समरेखन में कोई हेयर पिन बैण्ड नही है। समरेखन की अधिकांश लम्बाई टैरेसयुक्त नाप भूमि से गुजरती है तथा कुछ भाग मे सिविल बंजर भूमि है। चिचराड गांव से पूर्व समरेखन एक गदेरे को पार करता है। गदेरे के आस--पास पहाडी ढलान अपेक्षाकृत तीव्र है, जहां मार्ग निर्माण मे सावधानी अपेक्षित होगी। कृषिभूमि में भूमि का ढलान लगभग 20^0 से 30^0 तक प्रतीत होता है। समरेखन अधीक्षण अभियन्ता नौ वां वृत्त लो0 नि0 वि0 देहरादून द्वारा अनुमोदित है।

3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति भू-आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों का ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हे प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

(क) यथासम्भव मार्ग की पूरी चौडाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहां रिटेनिंग वाल का निर्माण अपरिहार्य हो वहॉ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेटा पर समुचित परिकलन के आधार पर कराया जायें।

(ख) समरेखन के समीप स्थित धरे से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटको का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये जिससे गांव की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त न हों।

(ग) गदेरे के समीप समरेखन में तीव्र पहाडी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।

(च) जहां मार्ग कटान की ऊचाई अधिक हो और स्ट्रेटा कमजोर हो आवश्यक होने पर उस भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित ब्रेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।

वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु रोडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये

(छ) गदेरे में पानी के अधिकतम डिस्चार्ज के आधार पर समुचित क्रास ड्रेन का प्रावधान किया जाये।

(ज) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के अन्य मानको एवं विशिष्टियों का भी पालन किया जाये।

4. मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बंधी बिन्दु:—

(i) मार्ग कटान के पश्चात हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाडी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाडी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती हैं।

(ii) यदि नीचे गदेरे के किनारो व बेड में भूकटाव/भूक्षरण होने से मार्ग भी प्रभावित हो सकता है। यदि नीचे से टो कटान की स्थिति बनती है तो मार्ग के धंसने/क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना हो सकती है।

5. सबमरजैस मोटर मार्ग से चिलराड गांव तक मोटर मार्ग हेतु .800 कि0 मी0 लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी

(1) भूमि हस्तातरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये सर्वेक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात स्थिति में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/ मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव की आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

(2) मुख्य अभियन्ता स्तर 1 लो0 नि0 वि0 देहरादून द्वारा समस्त अधीक्षण अभियन्ताओं को मार्गो के निर्माण एवं समरेखन निर्धारण के सम्बन्ध में प्रेषित पत्रांक 7272/8(1)याता0–उ0/ 05 दिनांक 16.11.2005 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया जायें।

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता
०० खण्ड लो०नि०वि०
सहिया (कालसी)

H. Kumar
23.5.07
भूवैज्ञानिक
कार्यालय मुख्य अभि०-स्त०-1
लो०नि०वि० उत्तरांचल
देहरादून